

**आहरण एवं वितरण अधिकारी,
वाणिज्य कर, औरैया।**

चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए अनुदान संख्या-089 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-
"2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का
अधिष्ठान" की मानक मद-42-अन्य व्यय(भारित) के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि
का आवंटन किया जाता है।

कृपया आवंटित की जा रही धनराशि का समुचित उपयोग कर लिये जाने की कार्यवाही से
मुख्यालय को भी अवगत कराये।

यह आवंटन किसी भी प्रकार से व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक
कि बजट मैनुअल और वित्तीय हस्त-पुस्तिका के संगत नियमों एवं अन्य आदेशों/शासनादेशों
के अन्तर्गत जहाँ शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ
ऐसी स्वीकृति व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर से न प्राप्त कर ली जाये। अतः सक्षम
अधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

उक्त आवंटित धनराशि किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं
रखी जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवंटन की प्रविष्टि बजट नियन्त्रण पंजिका के पृष्ठ
संख्या-02 पर कर ली गयी है।

संलग्नक-: यथोपरि।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पू0प0सं0 एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को उपर्युक्त संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1:-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, औरैया।
- 2:-उपमहालेखाकार, राजकोष एवं वी0एल0सी0, कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3:-एडीशनल कमिश्नर(विधि), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**आहरण एवं वितरण अधिकारी,
वाणिज्य कर, औरैया।**

चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए अनुदान संख्या-089 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-
"2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का
अधिष्ठान" की मानक मद-42-अन्य व्यय(भारित) के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि
का आवंटन किया जाता है।

कृपया आवंटित की जा रही धनराशि का समुचित उपयोग कर लिये जाने की कार्यवाही से
मुख्यालय को भी अवगत कराये।

यह आवंटन किसी भी प्रकार से व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक
कि बजट मैनुअल और वित्तीय हस्त-पुस्तिका के संगत नियमों एवं अन्य आदेशों/शासनादेशों
के अन्तर्गत जहाँ शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ
ऐसी स्वीकृति व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर से न प्राप्त कर ली जाये। अतः सक्षम
अधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

उक्त आवंटित धनराशि किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक/डिपॉजिट खाते में नहीं
रखी जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवंटन की प्रविष्टि बजट नियन्त्रण पंजिका के पृष्ठ
संख्या-02 पर कर ली गयी है।

संलग्नक-: यथोपरि।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पू0प0सं0 एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उपर्युक्त संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1:- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, औरैया।

2:- उपमहालेखाकार, राजकोष एवं वी0एल0सी0, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - प्रथम, उत्तर
प्रदेश, इलाहाबाद।

3:- एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Allotment Order Wise Report

Close Window

Print

PDF Generation Instructions

आयुक्त- वाणिज्य कर

आवंटन आदेश संख्या: 036-B-1-5-BUDGET-2021-2022-/647

कोषागार: 81 - औरैया

अधिकारी / जनपद का संख्या: 4752 - सहा0 आयुक्त(ए)/ उप
आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट)

अनुदान संख्या: 89 - संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

लेखाशीर्षक: 2040 - विक्री,व्यापार आदि पर कर

800 - अन्य व्यय

03 - वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-

आवंटन तिथि: 21/10/2021

वित्तीय वर्ष: 2021-2022

अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 -

कोषागार: औरैया

आयोजनेत्तर-भारित
(धनराशि रुपये में)

| मानक मद | पूर्व आवंटन | वर्तमान आवंटन | प्रगामी आवंटन |
|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 42 - अन्य व्यय | 0 | 407933 | 407933 |
| योग : | 0 | 407933 | 407933 |

(शैलेश गिरि)

अपर आयुक्त लेखा